भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1192

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में औषधीय पौधे

1192. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेष रूप से तमिलनाडु में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों के विकास और संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में किन क्षेत्रों में ऐसे औषधीय पौधे उपलब्ध हैं तथा विशेष रूप से कुड्डालोर जिले सहित तत्संबंधी जिला-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आयुष के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आयुष के विकास और संवर्धन के लिए प्रदान की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख)**:** आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) वर्तमान में "औषधीय पादपों के संरक्षण**,** विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है**,** जिसके अंतर्गत राज्य वन विभागों को उनके प्राकृतिक आवासों में औषधीय पादपों के यथास्थान संरक्षण हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके तहत तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इस प्रावधान के अंतर्गत दुर्लभ**,** लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में एमपीसीडीए समर्थित राज्य**/**संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त **,**पर्यावरण**,**वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन**,** बौटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) जिसे देश की पादप विविधता के सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। यह संगठन औषधीय पौधों सहित भारत की वनस्पति विविधता के संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। यह संस्था संकटग्रस्त और दुर्लभ औषधीय पौधों के स्थानीय विकास के लिए वनस्पति उद्यान सहायता (एबीजी) योजना के माध्यम से वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इस पहल के तहत, तीन वनस्पति उद्यानों, येरकौड वनस्पति उद्यान, येरकौड; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयंबटूर और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी), कोयंबटूर को औषधीय पौधों सहित विशेष संग्रहों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग): जी हां, आयुष मंत्रालय देश में आयुष के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनएएम में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में नामित किया गया है।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन।

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उस क्षेत्र में नए आयुष औषधालय स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

(ix) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना भीलागू करता है। इसका उद्देश्य देश भर की आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया और प्रिन्ट मीडिया अभियान भी चलाता है।

(घ): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित स्वीकृत/मंजूर की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

आईईसी योजना के अंतर्गत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार आवंटित नहीं की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईईसी योजना के लिए आवंटित बजट का विवरण नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	**आवंटित की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)**
2022-23	55.40
2023-24	39.85
2024-25	33.12
2025-26	73.20

संलग्नक-I

औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना द्वारा समर्थित औषधीय पादप संरक्षण विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**सहायता प्राप्त एमपीसीडीए की संख्या**	**एमपीसीडीए का नाम**
1.	गुजरात	13	(1) मथल
			(2) थरावडा
			(3) वलसाड
			(4) सूरत
			(5) कुरबोई नभोई
			(6) कच्छ
			(7) जामनगर
			(8) राजकोट
			(9) सौराष्ट्र
			(10) मध्य गुजरात
			(11)उत्तर गुजरात
			(12)लवण कच्छ
			(13)महिसागर
2.	हरियाणा	2	(1) भिवानी
			(2) महेंद्रगढ़
3.	हिमाचल प्रदेश	5	(1) ढेल तच्छ जीएचएनपी (धौलाधार रेंज)
			(2) डोडरा (ज़ंस्कर रेंज)
			(3) छितकुल (ज़ंस्कर रेंज)
			(4) कुकुमसेरी (धौलधार रेंज)
			(5) मोद्दा का टिब्बा (ज़ंस्कर रेंज)
4.	जम्मू एवं कश्मीर	3	(1) अनंतनाग
			(2) कठुआ
			(3) लेह (अब संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में)
5.	कर्नाटक	17	(1) धारवाड़
			(2) उत्तर कन्नड़
			(3) बालागांव
			(4) जन कडकल
			(5) शिरागुंजी
			(6) कोडम्बले
			(7) माहिमे
			(8) अच्वे
			(9) शिमोगा
			(10) मधुगीरी
			(11) कोराटागेरे
			(12) रामनगर
			(13)वैजगांव

			(14)कुडलागांव
			(15) पोटोली
			(16) पंजेली
			(17) देवल्ली
6.	मध्य प्रदेश	11	(1) अमरकंटक
			(2) बर्मन
			(3) पूर्वी बटकाखापा
			(4) पूर्वी छिंदवाड़ा
			(5) तामिया
			(6) पाण्डुर्णा
			(7)डिंडौरी
			(8) भौरीबांध
			(9) मवई
			(10) कट्टीवाड़ा
			(11) कराहल
7.	महाराष्ट्र	15	(1) गुल्लर घाट
			(2) होन्या कोली
			(3) सवारानी
			(4) घाटांग रेंज
			(5) मेलाघाट रेंज
			(6) धन्नू रेंज
			(7) ठाणे
			(8) पश्चिम नासिक
			(9) रुयाद
			(10) वेलगूर
			(11)भटारी
			(12)चिन्डीचक
			(13)कोपेला
			(14) मांडवी रेंज
			(15) शिरसाद रेंज
8.	मणिपुर	3	(1) खांगखुईखुल्लन उखरुल
			(2) कैलम, चूड़ाचांदपुर
			(3) लैंगोल आरक्षित वन, इंफाल पश्चिम
9.	मिजोरम	6	(1) बिल्खावथलिर
			(2) वैरेंगटे
			(3) हुमुनपुई
			(4) खियांगज़ॉ
			(5) ज़ोंगॉ
			(6) सिदारह राम
10.	नागालैंड	10	(1) जलूकी
			(2) चुंगटोन्या

			(3) चिपवु
			(4) इंताकी
			(5) फकीम वन्यजीव अभयारण्य
			(6) सारामती शिखर
			(7) खार गांव
			(8) जुतोवी
			(9) तुली
			(10) चेन
11.	उड़ीसा	1	(1) मंदार गिरि
12.	राजस्थान	2	(1) किराडू पहाड़ी, बाडमेर
			(2) कायलाना, जोधपुर
13.	सिक्किम	4	(1) चुंगथांग
			(2) नामची
			(3) सिप्सु झूम गंगटोक
			(4) मैमरिंग
14.	तमिलनाडु	8	(1) सिरुमलाई
			(2) अलागरकोविल
			(3) नाथम श्रेणी
			(4) मन्नवन्नूर
			(5) बेरिजाम
			(6) पूम्बाराई
			(7) देवदानपट्टी
			(8) पेरुमपल्लम
15.	त्रिपुरा	5	(1) मुहुरिपुर आरएफ
			(2) बारामुरा-देवतामुरा आरएफ
			(3) बारामुरा-देवतामुरा आरएफ
			(4) बारामुरा-देवतामुरा आरएफ
			(5) तेलियामुरा आरएफ
16.	उत्तराखंड	3	(1) जोशीमठ रेंज, चमोली
			(2)धराली
			(3) गंगी
17.	पश्चिम बंगाल	7	(1) पंचनाई
			(2) फालूत
			(3) रचिला
			(4) लाटागुड़ी
			(4) उत्तर राजावतखावा
			(6) कलश
			(7) कांकराझोर
	कुल	**115**	

संलग्नक - II

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत/मंजूर की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**मंजूर की गई राशि**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	142.386	407.2865	542.75	150.08	1242.50
2.	आंध्र प्रदेश	0.000	0.0000	2497.19	217.13	2714.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	402.040	1186.0400	1498.84	1584.41	4671.33
4.	असम	1011.770	3471.4500	6511.87	3209.38	14204.47
5.	बिहार	0.000	1161.0600	0	92.04	1253.10
6.	चंडीगढ़	189.735	226.3190	447.58	0.00	863.63
7.	छत्तीसगढ़	0.000	2151.4260	3194.06	631.36	5976.84
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.000	408.4500	690.73	1181.89	2281.07
9.	दिल्ली	0.000	0.0000	0	0.00	0.00
10.	गोवा	142.286	628.3045	610.67	432.09	1813.35
11.	गुजरात	1908.623	2961.4215	2623.103	1691.23	9184.38
12.	हरियाणा	1219.905	3026.5875	1371.9	655.66	6274.05
13.	हिमाचल प्रदेश	3873.577	3659.2200	2899.089	1815.81	12247.69
14.	जम्मू एवं कश्मीर	4895.088	7510.3600	4361.6	1715.72	18482.76
15.	झारखंड	7752.570	2390.4200	3217.057	303.92	13663.96
16.	कर्नाटक	1714.086	5031.5400	6067.284	651.57	13464.48
17.	केरल	4399.828	7989.4000	11037.96	1828.65	25255.83
18.	लद्दाख	72.265	47.3200	190.287	207.79	517.66
19.	लक्षद्वीप	116.322	332.0140	220.476	146.08	814.90
20.	मध्य प्रदेश	1716.000	6120.0000	8169.59	1643.61	17649.20
21.	महाराष्ट्र	0.000	2235.5360	2681.157	0.00	4916.69
22.	मणिपुर	1723.000	0.0000	1276.67	0.00	2999.67
23.	मिजोरम	117.270	1057.8550	1101.48	1585.76	3862.36
24.	मेघालय	796.840	1722.6000	1520.48	62.11	4102.03
25.	नगालैंड	495.780	1016.9700	1342.11	160.54	3015.40
26.	ओडिशा	0.000	0.0000	2369.21	379.74	2748.95
27.	पुदुचेरी	623.952	197.0800	683.4	4.15	1508.58
28.	पंजाब	0.000	109.8504	1701.1	33.88	1844.83

29.	राजस्थान	0.000	3731.5120	15051.797	3460.36	22243.67
30.	सिक्किम	626.060	492.3700	434.78	419.53	1972.74
31.	तमिलनाडु	2428.686	6635.7630	7380.32	1137.53	17582.30
32.	तेलंगाना	0.000	1225.1670	2491.38	0.81	3717.36
33.	त्रिपुरा	1030.900	566.9900	815.77	90.53	2504.19
34.	उत्तर प्रदेश	14437.596	12418.5960	13903.18	0.00	40759.37
35.	उत्तराखंड	1855.797	3234.3750	2441.1211	1889.43	9420.72
36.	पश्चिम बंगाल	1056.581	3379.3860	2308.432	0.00	6744.40
	कुल	**54748.942**	**86732.669**	**113654.423**	**27382.782**	**282518.82**